



2026:AHC:57706

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस संख्या

- 2025 सन् 2026

अली रजा

.....आवेदक(आवेदकों)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....विपक्षी पक्षकार(पक्षकारों)

आवेदक(आवेदकों) के अधिवक्ता

: मिथिलेश कुमार शुक्ला

विपक्षी पक्षकार(पक्षकारों) के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति, जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री मिथिलेश कुमार शुक्ला और राज्य के विद्वान ए.जी.ए., श्री बी.पी.सिंह को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. वर्तमान आवेदन मामला संख्या 84 सन् 2025 भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2) के अन्तर्गत, थाना चमनगंज, जिला कानपुर नगर, में अग्रिम जमानत के लिए दायर किया गया, जिसमें यह प्रार्थना की गई है कि गिरफ्तारी की स्थिति में आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाए।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आगे यह भी बताया गया है कि आवेदक सह-आरोपी नफर अली द्वारा वर्ष 1990 में इशितयाक अहमद, फुलम वारिस और मुस्तैक अहमद के पक्ष में निष्पादित हिब्बानामा (दान विलेख) का मामूली साक्षी है। यह भी बताया गया है कि आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देता है और अन्वेषण एजेंसी या न्यायालय द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उपस्थित होगा। यह कहा गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और अन्वेषण में सहयोग करेगा तथा जमानत की सभी शर्तों का पालन करेगा।
4. दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत के आवेदन का विरोध किया।
5. आवेदक को हिब्बानाम में मामूली साक्षी बताया गया है, जिसे वर्ष 1990 में इशितयाक अहमद, फुलम वारिस और मुस्तैक अहमद के पक्ष में निष्पादित किया गया था।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



6. यह उल्लेख किया जा सकता है कि सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 1 एससीसी 694, के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अग्रिम जमानत पर निर्णय करते समय, न्यायालय को आरोप की प्रकृति और गंभीरता, आरोपी का पूर्ववृत्त, आरोपी के न्याय से भागने की संभावना पर विचार करना चाहिए और आरोपी के विरुद्ध उपलब्ध सभी सामग्री का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए तथा आरोपी की यथार्थ भूमिका को भी ध्यान में रखना चाहिए।

7. इस मामले में, अग्रिम जमानत से संबंधित स्थापित विधि के सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों, आवेदक की भूमिका और मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत का मामला बनता है।

8. अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

9. उपरोक्त मामला अपराध में संलिप्त आवेदक-अली रजा की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार 50,000 रुपये के व्यक्तिगत बन्धपत्र और इतनी ही राशि के दो प्रतिभूओं को प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा:

(i) आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और संबंधित न्यायालय द्वारा छूट दिए जाने तक निर्धारित तिथि पर वितरण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा;

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे/उसकी/ उन्हें न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;

(iii) आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करेगा और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

(iv) आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

10. किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, अभियोजन आवेदक को दी गई अग्रिम जमानत निरस्त करने के लिए उचित आवेदन दायर करने के लिए स्वतंत्र होगा।

18 मार्च, 2026

वीरेंद्र

(न्यायमूर्ति, जितेंद्र कुमार सिन्हा)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"